भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1351

जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में विशेष त्वरित न्यायालय

1351. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत उन विशेष त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) की जिला-वार संख्या कितनी है जो विशेषकर पॉक्सो और अन्य यौन अपराधों से संबंधित मामलों के लिए समर्पित हैं ;

(ख) इन एफटीएससी में बलात्कार और पॉक्सो के लंबित मामलों की अद्यतन जिला-वार संख्या कितनी है ;

(ग) न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों और सहायक कर्मचारियों सहित एफटीएससी में संस्वीकृत पदों और रिक्तियों की जिला-वार स्थिति क्या है ;

(घ) अब तक कितने पद भरे गए हैं और शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए एफटीएससी में अवसंरचना में सुधार करने, मानव संसाधनों में वृद्धि करने, डिजिटल वाद-प्रबंधन प्रणाली और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 218 एफटीएससी(न्यायालय) कार्यात्मक हैं, जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से 74 पॉक्सो न्यायालय

हैं। इन न्यायालयों में बलात्संग तथा पॉक्सो के लंबित मामलों के साथ कार्यात्मक एफटीएससी का जिलावार ब्यौरा **उपाबंध -1** पर है ।

(ग) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक एफटीएससी में एक पीठासीन अधिकारी तथा 7 सहायक कर्मचारी होने चाहिए ।

इलाहबाद उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्कीम के अधीन 218 एफटीएससी के लिए जिसके अंतर्गत 74 अनन्य रूप से पॉक्सो न्यायालय हैं, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश के 218 पद तथा सहायक कर्मचारिवृंद के 1,526 पद स्वीकृत किए गए थे । क्रमवार स्वीकृत कुल संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश	218
2.	आशुलिपिक श्रेणी-1	218
3.	मुन्सरिम, रीडर	218
4.	ज्येष्ठ सहायक (वाद लिपिक, सत्र लिपिक, प्रकीर्ण लिपिक	218
5.	कनिष्ठ सहायक ,(कॉपिस्ट)	218(बाहर से ठेके पर)
6.	आर्डर्ली (चपडासी)	436(बाहर से ठेके पर)
7.	दफ्तरी	218(बाहर से ठेके पर)
	कुल	1,744

एफटीएससी ने न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों और रिक्तियों का जिलावार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और सूचित किया है कि कनिष्ठ सहायक (कॉपिस्ट) के 218 पद, आर्डर्ली/चपडासी के 436 पद तथा दफ्तरी के 218 पद शुरुआत में बाहर से ठेके पर भरना प्रस्तावित थे । तथापि, बलात्संग तथा पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटान की मॉनीटरी के लिए गठित माननीय समिति ने समाधान किया था कि पॉक्सो न्यायालयों के साथ आसक्त कर्मचारी संवेदनशील न्यायिक अभिलेखों का रखरखाव करते हैं तथा ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रखरखाव केवल नियमित काडर द्वारा ही किया जाता है ।

(घ) : न्यायाधीशों/अभियोजकों और न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत एफटीएससी भी है, के रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा संबद्ध उच्च न्यायालयों की है । सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती तथा नियुक्ति के संबंध में नियम बनाती है ।

(ङ.) : केन्द्रीय सरकार ने एफटीएससी में लंबित मामलों को कम करने के लिए सहायक अवसंरचना, सुदृढ डिजिटल प्रबंध प्रणाली तथा मॉनीटरी तंत्र की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं:

(i) न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत एफटीएससी भी हैं के लिए न्यायालय हॉल, आवासीय यूनिट, अधिवक्ता हॉल प्रसाधन परिसर तथा डिजिटल कंप्यूटर कक्ष बनाने में राज्यों के प्रयासों की अनुपूरक है । स्कीम के प्रारंभ से, उत्तर प्रदेश राज्य को 1,756.41 करोड रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) प्रदान की गई है, जिसमें से 1,205.11 करोड रुपए वित्तीय वर्ष 2024-15 से प्रदान किए जा रहे हैं । 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 2,923 न्यायालय हॉल हैं ।

(ii) भारत सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट सम्न्वयन में ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 का कार्यान्वयन कर रही है । डिजिटल मामला प्रबंधन को सुदृढ करने के लिए, मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) 4.0 सभी न्यायालय परिसरों में कार्यान्वित किया गया है; राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) मामले की सूचना की लोक सुगमता का उपबंध करता है ; इलैक्ट्रानिक मामला प्रबंध यंत्र जैसे कि वादियों और अधिवक्ताओं के लिए ई-न्यायालय सेवा मोबाइल एप तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए जस्टआईएस मोबाइल एप प्रचालनीय है, जिसमें 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 3,54,86,435 तथा 22,090 डाउनलोड हुए हैं ; कागज विहीन न्यायालयों को समर्थ करने के लिए डिजिटल न्यायालय 2.1 विकसित किए गए हैं तथा जो पायलट कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक अनुसंधान तथा विश्लेषण की सहायता के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमता आधारित ज्ञात विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक (लेगआरएए) विकसित किया गया है ।

(iii) एफटीएससी की कार्य शैली को सुदृढ करने के लिए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा नियमित पुनर्विलोकन बैठकें होती हैं । माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समय रहते कार्रवाई तथा कड़े अनुपालन समयसीमा की आवश्यकता के संबंध में लिखा है । इसके अतिरिक्त, एफटीएससी का कार्य संपादन अंतरसरकारी समन्वयन के सुधार के लिए तथा न्याय परिदान के त्वरित करने के लिए होने वाली अंतरराज्यिक जोनल परिषद् की बैठकों में नियमित कार्यसूची मद है ।

****

उपाबंध -1

उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यात्मक एफटीएससी के साथ 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार इन एफटीएससी में बलात्संग तथा पॉक्सो के लंबित मामलों के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	कार्यात्मक एफटीएससी की कुल संख्या	एफटीएससी में बलात्संग और पॉक्सो के लंबित मामले
1	आगरा	4	2334
2	अलीगढ	4	2000
3	इलाहाबाद (प्रयागराज)	4	2113
4	अंबेडकर नगर	3	1058
5	औरैया	2	1035
6	आजमगढ़	3	2514
7	बागपत	2	667
8	बहराईच	3	1937
9	बलिया	3	1326
10	बलरामपुर	3	659
11	बाँदा	2	1073
12	बाराबंकी	3	1299
13	बरेली	4	3443
14	बस्ती	3	1019
15	संत रविदास नगर (भदोही)	2	113
16	बिजनौर	2	641
17	बदायुं	4	1304
18	बुलन्दशहर	4	2167
19	चंदौली	2	570
20	चित्रकूट	2	436
21	देवरिया	3	1469
22	एटा	3	761
23	इटावा	2	513
24	फैजाबाद (अयोध्या)	3	725
25	फर्रुखाबाद	3	926
26	फ़तेहपुर	3	1733
27	फिरोजाबाद	4	1010
28	गौतमबुद्ध नगर	3	1525
29	ग़ाज़ियाबाद	4	2653
30	गाजीपुर	3	1757
31	गोंडा	2	698
32	गोरखपुर	4	2760
33	हमीरपुर	3	1134
34	पंचशील नगर जिला (हापुड़)	3	625
35	हाथरस	2	459
36	हरदोई	4	1789
37	जालौन	2	796
38	जौनपुर	3	1758
39	झांसी	2	1110

क्र.सं.	जिला	कार्यात्मक एफटीएससी की कुल संख्या	एफटीएससी में बलात्संग और पॉक्सो के लंबित मामले
40	ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	3	446
41	कन्नौज	2	873
42	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	3	1937
43	कानपुर	3	2295
44	कासगंज	2	844
45	कौशांबी	4	980
46	कुशीनगर	4	2029
47	लखीमपुर खीरी	3	840
48	ललित पुर	2	543
49	लखनऊ	4	2827
50	महाराजगंज	3	1618
51	महोबा	2	402
52	मैनपुरी	3	1065
53	मथुरा	3	1041
54	मऊ	3	617
55	मेरठ	4	1971
56	मिर्जापुर	2	899
57	मुरादाबाद	3	1396
58	मुजफ्फरनगर	3	1446
59	पीलीभीत	3	867
60	प्रतापगढ़	3	1565
61	रायबरेली	4	2224
62	रामपुर	3	478
63	सहारनपुर	3	1132
64	संभल	2	972
65	संत कबीर नगर	3	970
66	शाहजहांपुर	3	1672
67	शामली	2	615
68	श्रावस्ती	2	192
69	सिद्धार्थ नगर	3	1008
70	सीतापुर	4	1945
71	सोनभद्र	2	643
72	सुल्तानपुर	3	1583
73	उन्नाव	3	1602
74	वाराणसी	4	2011
	कुल	**218**	**95457**

स्रोत: उच्च न्यायालय द्वारा उपबंधित डाटा के अनुसार।

उपाबंध-2

एफटीएससी में स्वीकृत पदों और रिक्तियों के जिलावार ब्यौरे जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी और सहायक कर्मचारी भी हैं

क्र.सं.	जिला	एफटीएससी में न्यायिक अधिकारी		प्रत्येक एफटीएससी के लिए सात सहायक कर्मचारी	
		कुल स्वीकृत संख्या	रिक्त	कुल स्वीकृत संख्या	रिक्त
1	आगरा	4		28	9
2	अलीगढ	4		28	11
3	इलाहाबाद (प्रयागराज)	4		28	10
4	अंबेडकर नगर	3	2	21	7
5	औरैया	2	1	14	6
6	आजमगढ़	3		21	9
7	बागपत	2	1	14	2
8	बहराईच	3	1	21	6
9	बलिया	3	2	21	5
10	बलरामपुर	3	2	21	7
11	बाँदा	2		14	5
12	बाराबंकी	3		21	8
13	बरेली	4		28	11
14	बस्ती	3	2	21	6
15	भदोही	2	1	14	6
16	बिजनौर	2		14	5
17	बदायुं	4		28	11
18	बुलन्दशहर	4		28	11
19	चंदौली	2	1	14	6
20	चित्रकूट	2	1	14	5
21	देवरिया	3	2	21	8
22	एटा	3	1	21	8
23	इटावा	2		14	5
24	फैजाबाद (अयोध्या)	3	1	21	8
25	फर्रुखाबाद	3	1	21	9
26	फ़तेहपुर	3	2	21	5
27	फिरोजाबाद	4		28	8
28	गौतमबुद्ध नगर	3		21	9
29	गाजियाबाद	4		28	12
30	गाजीपुर	3	2	21	9
31	गोंडा	2	1	14	4
32	गोरखपुर	4		28	11
33	हमीरपुर	3	2	21	9
34	हापुड	3	2	21	9
35	हाथरस	2	1	14	4
36	हरदोई	4	3	28	9
37	जालौन	2		14	5
38	जौनपुर	3		21	9
39	झांसी	2		14	5

क्र.सं.	जिला	एफटीएससी में न्यायिक अधिकारी		प्रत्येक एफटीएससी के लिए सात सहायक कर्मचारी	
		कुल स्वीकृत संख्या	रिक्त	कुल स्वीकृत संख्या	रिक्त
40	ज्योतिबा फुले नगर	3		21	9
41	कन्नौज	2	1	14	4
42	कानपुर देहात	3		21	8
43	कानपुर	3		21	8
44	कासगंज	2	1	14	6
45	कौशांबी	4	3	28	12
46	कुशीनगर	4	3	28	7
47	लखीमपुर खीरी	3	2	21	3
48	ललित पुर	2	1	14	5
49	लखनऊ	4		28	11
50	महाराजगंज	3	2	21	8
51	महोबा	2	1	14	4
52	मैनपुरी	3		21	9
53	मथुरा	3		21	9
54	मऊ	3	2	21	8
55	मेरठ	4		28	10
56	मिर्जापुर	2	1	14	4
57	मुरादाबाद	3		21	9
58	मुजफ्फरनगर	3		21	7
59	पीलीभीत	3		21	8
60	प्रतापगढ़	3	2	21	6
61	रायबरेली	4		28	10
62	रामपुर	3		21	9
63	सहारनपुर	3		21	8
64	संभल	2	1	14	4
65	संतकबीरनगर	3	2	21	7
66	शाहजहांपुर	3		21	8
67	शामली	2	1	14	4
68	श्रावस्ती	2	1	14	6
69	सिद्धार्थनगर	3	2	21	2
70	सीतापुर	4	2	28	11
71	सोनभद्र	2	1	14	6
72	सुल्तानपुर	3	2	21	5
73	उन्नाव	3		21	8
74	वाराणसी	4		28	11
	कुल	**218**	**63**	**1526**	**546**

स्रोतः उच्च न्यायालय द्वारा उपबंधित डाटा के अनुसार।

****